न्यायालय SDO शाहपुरा

क्रमांक 33/16

विशेष	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/5/18	वकील [illegible] / [illegible] द्वारा स्थायी [illegible] P.O. साहब [illegible] है। पत्रावली [illegible] दिनांक 20/5/18 को पेश हो।	
	[illegible]-18	पत्रावली पेश हुई श्रीमान P.O. साहब तबादला पर है। पत्रावली मार्फत [illegible] 21/5/18 को पेश हो।	
	21/5/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत के समक्ष बराबर मामला में पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्र का फैसला बराबर दुरुस्ती का है। जिला कलक्टर साहब व दस्तावेजों के आधार पर उपखण्ड के आचारपर होगा है। अतः पत्र [illegible] की अन्तिम आदेश दिनांक 15/X/2004 को फैसला [illegible] तक स्थाई किया जाता है दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है पत्रावली फैसला हुआ करार [illegible] को। फैसला के हकदीता रहे।	

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)